

(1)

प्र०क०-04ए/2014 ई०दी०

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद

(समक्ष : पी०सी०आर्य)

प्रकरण क्रमांक: 04ए/2014ई०दी०

संस्थापन दिनांक 08/07/2011

फाईलिंग नंबर-230303000152011

प्रीतम सिंह पुत्र गुन्धारी सिंह आयु 55 साल

निवासी ग्राम टेटोन परगना गोहद

जिला भिण्ड

.....वादी

विरुद्ध

1. कप्तान सिंह पुत्र हरीराम सिंह आयु 65 वर्ष
फौत द्वारा वारिसान:-
 - अ. श्रीमती शकुन्तला पत्नी कप्तान सिंह आयु 65 वर्ष
 - ब. नागेश आयु 38 साल
 - स. कल्ला आयु 34 साल
 - द. अजीत आयु 30 साल पुत्रगण कप्तानसिंह कौरव
निवासीगण ग्राम टेटोन पोस्ट शेरपुर परगना गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०
 - ई. श्रीमती पपीता पुत्री कप्तान सिंह
पत्नी कमलेश सिंह आयु 36 साल
निवासी ग्राम टेटोन परगना गोहद जिला भिण्ड
हाल मितावली तहसील व जिला मुरैना
 - फ. श्रीमती शिमला पुत्री कप्तान सिंह
पत्नी राजेश कुमार आयु 28 साल
निवासी टेटोन परगना गोहद जिला भिण्ड
हाल गांव सिलगिला तहसील व जिला मुरैना
2. म०प्र० राज्य शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय
मण्डल भिण्ड म०प्र०प्रतिवादीगण
.....औपचारिक प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री हरीशंकर शुक्ला अधिवक्ता।

प्रतिवादी कं०-01 के वारिसान 1'अ' लगायत 1'फ' द्वारा श्री विजय
श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रतिवादी कं०-02 पूर्व से एकपक्षीय।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 23 जनवरी 2017 को खुले न्यायालय में पारित)

1. वादी द्वारा उपरोक्त वाद उक्त वाद अनुबंधपत्र दिनांक 11/07/05
प्र०पी०-01 का अनुपालन कराया जाकर विवादित भूमि का बिकयपत्र (सुल्तानी

बयनामा) कराए जाने विकल्प में ऋण राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाए जाने की डिक्री बाबत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है, कि वादी एवं मूल प्रतिवादी कप्तान सिंह आपस में रिश्तेदार थे, यह भी निर्विवादित है, कि मूल वादी कप्तानसिंह का वाद लंबन काल में दिनांक 13/10/13 को देहांत हुआ था, जिसके वारिसान में श्रीमती शंकुतला देवी पत्नी, श्रीमती पपीता एवं श्रीमती शिमला पुत्री है और नागेश कल्ला, अजीत पुत्रगण है।
3. वादी का वाद सार संक्षेप में इस प्रकार है, कि मूल प्रतिवादी कप्तानसिंह ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 497 रकवा 0.62 हैक्टे0 1928 रकवा 0.39 हैक्टे0 1417 रकवा 0.24 हैक्टे0, रकवा 1428 रकवा 0.27 हैक्टे0 कुल रकवा 1.52 हैक्टे0 स्थित ग्राम टेटोन तहसील गोहद जिला भिण्ड को उससे 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए नगदी उधार एक रूपए पचास पैसे प्रति माह ब्याज दर पर दिनांक 11/07/05 को लिए थे और उक्त भूमि बंधक रखी थी, जिसका अनुबंधपत्र प्र0पी0-01 गवाहान के समक्ष निष्पादित किया था, उनके मध्य शर्त तय हुई थी, कि यदि कप्तान सिंह उसकी ऋण राशि मय ब्याज वर्ष के भीतर अदा करेगा और यदि अदा करने में विफल रहेगा तो वह न्यायालयीन कार्यवाही करके अपने पक्ष में सुल्तानी बयनाम करा लेगा, तथा बंधक रखी गई भूमि का कप्तानसिंह लिखतम पश्चात अन्य किसी व्यक्ति के हक में न तो रहन व्ययन करेगा न अंतरित करेगा।
4. वादी का यह भी अभिवचन है, कि मूल प्रतिवादी कप्तानसिंह द्वारा दिनांक 26/06/07 को 12,000/-हजार रूपए और दिनांक 18/06/09 में 8,000/-रूपए ब्याज के रूप में उसे अदा किए थे, शेष ब्याज व मूलधन देने का मौखिक अनुबंध किया था, किंतु उसके पश्चात कप्तानसिंह ने अनेक बार मांग किए जाने के बावजूद अनुबंध का पालन नहीं किया, और टालमटोल करता रहा, तथा दिनांक 15/06/10 को रूपए देने से इन्कार कर दिया, तत्पश्चात उसने जरिए अभिभाषक मांग सूचनापत्र पंजीकृत डाक से प्रेषित किया, जो प्राप्त होने से पश्चात उसका मूल प्रतिवादी ने अभिभाषक के माध्यम से असत्य जबाब भेजा और शर्तिया अनुबंध का निष्पादन न कर प्र0पी0-01 की लिखापट्टी को कूटरचित छल कपट और बेईमानी पर आधारित बताया है, जिसके बाद पुनः दिनांक 12/11/10 को मांग सूचना पत्र भेजा जिसके पश्चात वह झगड़े पर आमादा हो गया, द्वितीय नोटिस दिनांक 10/11/10 को मूल प्रतिवादी कप्तानसिंह को प्राप्त हुआ जिसकी पावती प्राप्त हुई जिसका कोई जबाब नहीं दिया इस तरह से दिनांक 15/06/10 को उत्पन्न वाद कारण के आधार पर उक्त वाद सुल्तानी बयनामा कराए जाने, विकल्प में मूलधन मय ब्याज भुगतान कराए जाने की प्रार्थना करते हुए, समयावधि के भीतर वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्रदत्त किए जाने की प्रार्थना की है।
5. मूल प्रतिवादी कप्तानसिंह की ओर से वदोत्तर प्रस्तुत कर वादी के अभिवचनों का स्पष्टतः प्रत्याख्यान करते हुए इस आशय के अभिवचन किया है, कि

उसने वादी से न तो कोई 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए उधार लिए, न ही कोई अनुबंध निष्पादित किया, न उसने वादी को ब्याज पेटे में दिनांक 26/06/07/ एवं 18/06/09 को कोई राशि अदा की न मूलधन ब्याज अदा करने का वचन दिया, बल्कि वादी ने कूटरचित दस्तावेज की रचना करके काल्पनिक तथ्यों के आधार पर झूठा वाद प्रस्तुत किया है, वादी ने जरिए अभिभाषक जो नोटिस भेजा था, वह असत्य था, जिसका जबाब यथा समय दिया गया था, वादी के समस्त अभिवचन काल्पनिक और असत्य है, तथा उसका वाद स्पष्ट रूप से अवधि बाह्य है और वादी उससे किसी भी धनराशि को प्राप्त करने का या उसकी भूमि का बयनामा कराने का अधिकारी नहीं है, वादी द्वारा उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क भी अदा नहीं किया गया है, इसलिए वाद सव्यय निरस्त किया जाए।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्नों की रचना की गई है जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वादप्रश्न

निष्कर्ष

1	क्या मूल प्रतिवादी क्रमांक 01 स्व0 कप्तानसिंह ने वादी प्रीतमसिंह को अपनी ग्राम टेटोन तहसील गोहद स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 497 रकवा 0.62, 1417 रकवा 0.24, 1418 रकवा 0.27, 1928 रकवा 0.39 कुल रकवा 1.52 हेक्टे0 को एक लाख पचास हजार रूपए नगद प्राप्त कर दो वर्ष के लिए एक रूपए पचास पैसे प्रतिमाह सैकडा की दर पर बंधक रखा था ?	प्रमाणित
2	क्या स्व0 कप्तानसिंह ने वादी से बंधक का अनुबंध पत्र दिनांक 11/07/05 सम्पादित करते हुए, यह तथ्य भी निष्पादित किया कि यदि तय शुदा अवधि में मूल धन मय ब्याज भुगतान न करने पर वादी न्यायालयीन कार्यवाही कर अपने हित में विवादित भूमि का बिक्रय का बिक्रयपत्र सम्पादित करा सकेगा?	अप्रमाणित
3	क्या स्व0 कप्तानसिंह ने दिनांक 26/06/2007 को मूलधन का ब्याज वादी को भुगतान कर मूलधन अदा करने का मौखिक अनुबंध किया?	प्रमाणित
4	क्या स्व0 कप्तानसिंह अपने जीवन काल में दिनांक 11/07/05 के अनुबंध का पालन करने में हीलाहवाली करता रहा और वादी अनुबंध पालन हेतु हमेशा तत्तर व तैयार रहा ?	प्रमाणित
5	क्या वादी, प्रतिवादी क्रं0 01 के वारिसान से उक्त अनुबंध दिनांक 11/07/05 का पालन करा पाने का अधिकारी है ?	प्रमाणित
6	क्या वादी का वाद अवधि बाह्य है ?	अप्रमाणित
7	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क का भुगतान किया ?	प्रमाणित

8	अन्य सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय कण्डिका 48 मुताबिक आशंकि डिकी
---	----------------------------	---

—::— सकारण निष्कर्ष —::—

वादप्रश्न क्रमांक 07 का विश्लेषण व निराकरण

7. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार वादी पर है, इस संबंध में वादी द्वारा अपने आवेदनपत्र के मूल अभिवचनों में प्र0पी0-01 के अनुबंधपत्र के तहत हुए संव्यवहार की राशि 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए पर सारणी मुताबिक न्याय शुल्क का भुगतान 18,009/- रूपए किया है, जिसे प्रतिवादी की ओर से इस आधार पर प्रश्नगत किया गया है, कि वादी ने मूल्यांकन अनुसार न्याय शुल्क अदा नहीं किया है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया है, इस बिन्दु पर साक्ष्य की स्थिति देखी जाए तो, स्पष्ट रूप से इस बिन्दु पर दोनों ही पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दी गई है, तर्कों में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए उधारी पर ब्याज पर लिए जाने, भूमि बंधक रखे जाने के आधार पर अनुबंध की राशि पर न्याय शुल्क उचित रूप से मूल्यांकित करते हुए भुगतान करना कहा है, प्रतिवादी इस बिन्दु पर कोई भी विधिक रूप से ठोस तर्क करने में असफल रहा है, वाद मूल्यांकन और न्याय शुल्क के बिन्दु को न्यायालय स्वयं भी देख सकता है, और प्र0पी0-01 जिसके आधार पर दावा किया गया है, उसमें जिस राशि का संव्यवहार हुआ है, वह 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए है, जिस पर सारणी मुताबिक वादी द्वारा न्याय शुल्क भुगतान किया गया है, जो कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा-7(1) के अनुरूप है, जो धन के वादों में उपबंधित है, ऐसी स्थिति में यह पाया जाता है, कि वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर आवश्यक शुल्क का भुगतान किया गया है, परिणामतः उक्त वादप्रश्न क्रमांक 07 वादी के पक्ष में निर्णित कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 05 का विश्लेषण व निराकरण

8. उक्त वादप्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसका प्रमाण भार भी वादी पर है, क्योंकि वादलंबन काल में मूल वादी कप्तानसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने की हैसियत से आवश्यक पक्षकार के रूप में समाविष्ट किया गया है, इस बिन्दु पर अभिलेख पर वादी प्रीतमसिंह वा0सा-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-07 में स्वीकार किया गया है, कि प्र0पी0-05 पर कप्तानसिंह के किसी लडके के हस्ताक्षर नहीं है, स्वतः कप्तानसिंह के लडके नागेश द्वारा प्र0पी0-05 का जबाब देना वह कहता है और यह भी स्वीकार करता है, कि प्र0पी0-05 पर नागेश के कोई हस्ताक्षर नहीं है, फिर उसने नागेश का अंगूठा निशानी बताया है, कप्तान की अंगूठा निशानी से इन्कार किया है, इस संबंध में नागेश प्र0सा0-02 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-04 में यह कहा है, कि प्रीतम ने उसके पिता को जो नोटिस दिया था, वह गलत था, इसलिए उसके तत्समय जबाब दिया गया था, और नोटिस एक ही बार मिला था,

पैरा-05 में उसने यह स्वीकार किया है, कि वह तीन भाई है, और उनकी मां है, दो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपनी-अपनी ससुराल में रहती है, पिता की सम्पत्ति का बटवारा नहीं हुआ है, और पिता की सम्पत्ति का उपयोग उपभोग वे तीनों भाई और उनकी मां कर रहे हैं।

9. इस प्रकार से उक्त वादप्रश्न के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य व स्वीकृत तथ्य है, उसके मुताबिक जिस भूमि को वादपत्र में उल्लेखित करते हुए, उसके सुल्तानी बयानों की डिक्री चाही गई है, विकल्प में धन वसूली मय ब्याज के प्र0पी0-01 के आधार पर चाही गई है, उसका स्वर्गीय कप्तानसिंह वास्तविक स्वामी था, इस आशय की भी स्वीकारोक्ति आई है, कि कप्तानसिंह की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग उसकी पत्नी और पुत्रगण कर रहे हैं, कोई बटवारा नहीं हुआ है, इसलिए वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-08 के अंतर्गत अनुसूची के वर्ग एक के वारिसान की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसमें उसकी संतानें और विधवा पत्नी सभी शामिल हैं, इसलिए सम्पत्ति पर यदि कोई भार निर्धारित होता है, तो उसका भी वहन वे करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे, ऐसी स्थिति में उक्त वादप्रश्न भी प्रमाणित निर्णित कर वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 01 का विश्लेषण व निराकरण

10. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार भी वादी पर है, और इस संबंध में वादी प्रीतमसिंह व0सा0-01 ने अपने अभिवचनों अनुरूप मुख्य परीक्षण का अभिसाक्ष्य देते हुए मूलतः प्र0पी0-01 के अनुबंधपत्र को स्व0 कप्तानसिंह द्वारा दिनांक 11/07/05 को गवाहान के समक्ष निष्पादित करते हुए, उससे 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए दो वर्ष के लिए अपनी भूमि जिसका विवरण अभिवचनों में दिया गया है, उसे रहन रखते हुए, एक रुपए पचास पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह ब्याज दर पर प्राप्त करते हुए, निष्पादित करना और राशि नगर रुप से प्राप्त करना बताई है, प्र0पी0-01 को मुद्रांकित कराया जा चुका है, इसलिए वह साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेज है, और उसकी ग्रहिता को लेकर अब कोई प्रश्न नहीं है, व0सा0-01 ने प्र0पी0-01 पर कप्तानसिंह की फोटो भी चस्पा होना और उसके द्वारा अंगूठा निशानी करना भी बताया है, प्र0पी0-01 के अनुप्रमाणक साक्षी दिलावरसिंह व0सा0-03 के रुप में और राजेश सिंह व0सा0-04 के रुप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने प्र0पी0-01 के निष्पादन के संबंध में वादी का अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन करते हुए यह बताया है, कि दस-ग्यारह वर्ष पूर्व कप्तानसिंह ने अपने जमीन गिरवी रखते हुए, उसके बदले में वादी प्रीतमसिंह से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए एक रुपए पचास पैसे प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज पर लिए थे और दो वर्ष के लिए जमीन गिरवी रखी थी, जिसकी दोनों पक्षों की रजामंदी से लिखापट्टी हुई थी, और दोनों ने प्र0पी0-01 पर क्रमशः बी से बी और सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर पंचसाक्षी के रुप में करना बताए हैं, लिखापट्टी पुरानी कचहरी के हॉल में किसी बकील साहब के द्वारा लक्ष्मणसिंह से लिखापट्टी पढवाई जाना कहा है, क्योंकि वह अनपढ था, और अंगूठा निशानी उसके सामने करना बताई है, प्र0पी0-01 का अनुबंध कप्तानसिंह की जमीन हड़पने के लिए तैयार किए जाने से इन्कार किया है, दिलावर सिंह ने पैरा-03

मं यह स्वीकार किया है, कि प्रीतमसिंह परिवार के नाते उसका चाचा लगता है, लेकिन इस कारण से असत्य कथन करने से उसने पैरा-04 में इन्कार किया है, राजेश सिंह वा0सा0-04 ने पैरा-03 में वादी प्रीतमसिंह उसके बाबा लगना स्वीकार किया है, किंतु पैरा-04 में नाती होने के नाते, झूठा कथन देने से इन्कार किया है।

11. प्रीतमसिंह वा0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-08 में यह कहा है, कि जब उसने दावा किया था, तब कप्तानसिंह जीवित थे, अस्पताल में भर्ती थे, दावे के दौरान मरे थे, उसने यह भी स्वीकार किया है, कि वह परिचित लोगों को ब्याज पर रूपए देने का काम करता है, जिसकी लिखापट्टी वह अपने भाई नरेश से कराता है, जो उससे अलग रहता है और नरेश अपनी कॉपी में लिखापट्टी करता है, उसके पास साहूकारी का कोई लाईसेंस नहीं है, जिस कॉपी में नरेश लिखापट्टी करता है, वह उसके घर पर होगी, उसने पेश नहीं की है, और नरेश उससे अलग रहता है। इस बात से इन्कार किया है, कि कॉपी इसलिए पेश नहीं की क्योंकि कप्तानसिंह ने कोई रूपए नहीं लिए पैरा-09 में यह भी स्वीकार किया है, कि प्र0पी0-01 का अनुबंध उसके और कप्तानसिंह के बीच होना लिखाया है, यह भी स्वीकार किया है, कि प्र0पी0-01 की लिखापट्टी रूपए दिए थे, उस समय नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, पैरा-10 में उसने पंचसाक्षियों के बारे में यह कहा है, कि दिलावरसिंह परिवार के नाते उसका भतीजा लगता है, एवं राजेश काछी जाति का होकर उसके गांव का है और उससे उसके अच्छे संबंध हैं, फिर उसने कहा कि दोनों गवाहों को कप्तानसिंह लिवाकर लाया था, कप्तानसिंह उसका फुफेरा भाई था, दिलावर कप्तानसिंह का भी भाई भतीजा लगता था, कप्तानसिंह ईमानदार आदमी था, कप्तानसिंह का लडका बेईमान है, इस बात का उसे पता था, और आगे चलकर वह बेईमानी करेगा इसलिए लिखापट्टी करा ली थी, कप्तान सिंह का पुराना कोई लेनदेन नहीं था, जब उसने रूपए उधार दिए थे, तब उसे इस बात का आभास था, कि कप्तानसिंह अपने जीवनकाल में पैसे नहीं लौटा पएगा और उसके लडके बेईमानी करेंगे, इसलिए लिखापट्टी हुई थी।

12. वादी प्रीतम सिंह ने वा0सा0-1 ने रूपए उधारी का कारण पैरा-11 में स्पष्ट करते हुए, यह कहा है, कि कप्तानसिंह ने उससे ट्रक खरीदने के लिए 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए उधार लिए थे, उस समय उसने कप्तान को यह सलाह भी दी थी, कि ट्रक के चक्कर में मत पड लडके बरबाद कर देंगे। रूपए की उपलब्धता के बारे में उसने यह स्पष्टीकरण दिया है, कि उसने गेहूं और धान की फसल बेची थी, उसकी राशि में से कप्तान को रूपए उधार दिए थे, जो फसल उसने 1,75,000/-रूपए में सरकारी बिक्रय केन्द्र पर बेची थी, उसकी राशि बैंक के माध्यम से मिली थी, यह भी कहा है, कि उसके भाई सुरेश पुलिस में है, जो उसके साथ सम्मिलित रूप से रहता है, वह भी पैसे भेजता था, इसलिए उसने कप्तान को रूपए उधार दे दिए थे, इस बात से इन्कार किया है, कि उसने अपने हितबद्ध व्यक्तियों से मिलकर, किसी हितबद्ध व्यक्ति से अंगूठा निशानी करा कर लिखा लिया, कप्तानसिंह ने अंगूठा निशानी नहीं की है।

13. प्रीतमसिंह वा0सा0-01 का यह भी कहना है, कि अनुबंध दो साल के

लिए लिखा गया था, कप्तानसिंह दो साल से ज्यादा जिंदा रहा, उससे उसकी मुलाकात भी होती रही, अच्छे संबंध बने रहे, कप्तानसिंह से वह रूपए की मांग भी करता रहा और दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर सुल्तानी बयनामा की कार्यवाही उसने नहीं की कोई नवीन अनुबंध नहीं लिखाया पैरा-03 में उसका यह भी कहना है, कि उसने प्र0पी0-01 की लिखापट्टी के 06 साल बाद दावा किया था, उस समय कप्तानसिंह गंभीर रूप से बीमार चल रहा था, मरणासन्न स्थिति में था तथा जब उसने कप्तान को नोटिस भेजे थे, उस समय वह स्वस्थ था, कप्तानसिंह के नोटिस का जब जबाब आया था, उसके बाद रिश्तेदारों की पंचायत भी की थी, और राजीनामे की बात कही गई थी, लेकिन कप्तानसिंह नहीं आया था, उसका लडके आए थे, उन्होंने पैसे देने से मना किया था, उस पंचायत में ग्राम मितावली का कमलेश कौरव जो उसका दामाद है, वह भी था, और गांव के ओर लोग भी थे, इस बात से इन्कार किया है, कि कोई पंजीकृत पंचायत नहीं हुई, पैरा-14 में उसने यह भी कहा है, कि जो नोटिस उसने भेजे थे, वह कप्तानसिंह के नाम से भेजे थे, नागेश को नहीं भेजे थे, और नागेश की तरफ से जबाब आने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है, यह भी कहा है, कि जब उसने नोटिस भेजे थे, उसके बाद कप्तानसिंह से बातचीत हुई थी, और कप्तानसिंह ने कहा था नोटिस मत भेजो पैसे दे दूंगा, उसके बाद कप्तान बीमा हो गया था, प्रीतम के सगे छोटे भाई नरेश वा0सा0-02 ने भी प्र0पी0-01 के संव्यवहार बाबत वादी का समर्थन करते हुए, यह कहा है, कि वह प्र0पी0-01 का साक्षी नहीं बना था, कप्तानसिंह ने साढ़े सात बीघा जमीन गिरवी रखी थी, जो टेटोन मौजे में है, खेती की किताब पर से अनुबंध बनाया गया था, जो कप्तानसिंह स्वयं लाया था, शेष कथन उसने ब्याज के संबंध में देते हुए, पैरा-08 में यह कहा है, कि प्र0पी0-01 का अनुबंध लक्ष्मण ओझा ने टाइप किया था, पी0सी0 भट्टेले नोटरी के यहां लिखवाया गया था, स्टाम्प प्रीतम ले कर आया था और रकम अधिक थी, इसलिए अनुबंध लिखा गया था, कप्तानसिंह ने कहा था, कि यदि वह पैसे न चुका पाए तो उसकी जमीन से ले लेना, और कप्तानसिंह उस समय वृद्ध थे, इसलिए लिखापट्टी हुई थी, रूपए की उपलब्धता बाबत उसने वादी प्रीतम अनुरूप ही साक्ष्य दी है।

14. अनुबंध के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें कप्तानसिंह की विधवा पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी ने प्र0सा0-01 के रूप में दिए अपने अभिसाक्ष्य में इस बात से साफ तौर पर इन्कार किया है, कि उसका पति कप्तानसिंह ने जमीन को बंधक रखकर कोई राशि वादी से प्राप्त की और अनुबंध लिखाया बल्कि उसने प्र0पी0-01 का अनुबंध फर्जी रूप से वादी द्वारा तैयार करा लिया लेना कहा है, यह भी कहा है, कि उसके पति को नोटिस दिया गया था, जिसका उसके पति ने जबाब दिया था, कि कोई रूपए नहीं दिए गए हैं, न कोई अनुबंध किया, न अंगूठा किया, इसी प्रकार की अभिसाक्ष्य कप्तानसिंह के पुत्र नागेश प्र0सा0-02 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है, प्र0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-04 में इस बात को स्वीकार किया है, कि उसके पति ने नरेश कौरव को जमीन बिक्रय की थी, सोवरन, विक्रम, बलकारा सिंह को जमीन बेचने की उसे जानकारी नहीं है, उसके पति ने गौशाला की जमीन न तो किसी को बेची न दान दी है, उसके पति पर कुल कितनी जमीन है, यह भी वह नहीं बता सकती है, क्योंकि वह पढालिखी नहीं है, इस बात से भी इन्कार किया है, कि उन्होंने बाबूलाल जैन की जमीन पर जबरन

मकान बना लिया और उसकी जमीन जोट रहे है, इस बात से भी इन्कार किया है, कि बाबूलाल जैन ने मुकदमा कर जमीन जीत ली और वे हार गए है, उसका यह भी कहना है, कि उसके पति किसी प्रकार का लेनदेन किसी से नहीं करता था यदि करते थे तो उसे पता चलता था, इस बात से भी इन्कार किया है, कि उसका पति ट्रक खरीदना चाहता था और उसके लिए प्रीतम से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए उधार लिए और उसकी लिखापदी की।

15. श्रीमती शकुंतला देवी प्र0सा0-01 ने प्र0पी0-01 के पंचसाक्षी राजेन्द्र सिंह और दिलावर सिंह से कोई रिश्तेदारी होने और जानने से इन्कार कर वादी से भी रिश्तेदारी होने से इन्कार किया है, यह अवश्य स्वीकार किया है, कि उसकी लडकी मितावली के कमलेश को ब्याही है, इस बात से भी इन्कार किया है, कि उसके लडके नागेश ने रुपयों के लेनदेन के संबंध में कोई पंचायत जोड़ी थी, जिसमें दमाद कमलेश सोवरन और दिनेश शामिल हुए और पंचायत में रुपए लेना स्वीकार किया, इसी कारण गांप का कोई व्यक्ति उनका साक्षी बनने को तैयार नहीं है, इस बात से भी इन्कार किया है, कि उसके पति ने वादी से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए एक रुपए पचास पैसे प्रति सेकडा प्रतिमाह की दर से ब्याज पर लिए थे और साडे सात बीघा जमीन गिरवी रखी थी, और तय किया था, कि यदि रुपए नहीं दिए तो न्यायालय से बयनामा करा लेना, इसी प्रकार का नागेश प्र0सा0-02 ने भी अभिसाक्ष्य देते हुए, वादी का खण्डन करते हुए, इस बात से इन्कार किया है, कि प्र0पी0-01 की लिखापदी पर दिलावर और राजेन्द्र ने हस्ताक्षर किए थे, और उसके पिता ने नोटरी कराई थी, यह अवश्य स्वीकार किया है, कि प्र0पी0-01 पर उसके पिता और वादी प्रीतम सिंह की फोटो चस्पा है।

16. प्रकरण में प्र0पी0-01 पर कप्तानसिंह के अंगुष्ठ चिन्ह के संबंध में वादी के आवेदन पर से हस्तलेख विशेषज्ञ संजय यादव को उभयपक्ष की सहमति से नियुक्त कर नरेश कौरव को जो बिक्रयपत्र कप्तानसिंह द्वारा कराया गया उस पर अंकित मानक अनुष्ठ चिन्ह के आधार पर व अभिलेख पर कप्तानसिंह के उपलब्ध अन्य अंगुष्ठ चिन्हों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर रिपोर्ट देने हेतु नियुक्त किया गया था, जो वा0सा0-05 के रूप में परीक्षित कराया गया है, और उस पर प्रतिवादीगण की ओर से समुचित प्रतिपरीक्षा भी की गई है, जिसमें वा0सा0-05 ने प्र0पी0-10 की जांच रिपोर्ट में अंगुष्ठ चिन्ह की विस्तृत विवेचना करते हुए, इस आशय का अभिमत दिया है, कि कप्तानसिंह के प्र0पी0-01 के दस्तावेज पर जो विवादित अंगुष्ठ चिन्ह है, वे बाएं हाथ के अंगूठे के हैं और अभिलेख पर जो अन्य दस्तावेज है, जैसे जबाब दावा, वकालतनामा, शपथपत्र के जो अंगुष्ठ चिन्ह है, वे दाहिने हाथ के हैं, नरेश सिंह के पंजीकृत बिक्रयपत्र पर कप्तानसिंह के अंगुष्ठ चिन्ह तथा उपपंजीयक कार्यालय में रखी जाने वाली द्वितीय प्रति पर भी किए गए अंगुष्ठ चिन्ह बाएं हाथ के अंगूठे के होकर प्र0पी0-01 के अंगुष्ठ चिन्ह से मेल खाते हैं और समानता रखते हैं, तथा अंगुष्ठ चिन्हों की 13 विशेषताएं समान रूप से मिलना बताई है, कप्तानसिंह की पत्नी शकुंतला देवी प्र0सा0-01 ने पैरा-04 में नरेश कौरव को उसके पति द्वारा जमीन बेचना की स्वीकारोक्ति की है, ऐसे में उसके बिक्रयपत्र के अंगुष्ठ चिन्ह मानक माने जाएंगे और उभयपक्ष की साक्ष्य में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है, कि कप्तानसिंह

वर्ष 2005 में वृद्ध था अशिक्षित था, और अंगूठा निशानी करता था, अभिलेख पर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिनमें वादी द्वारा दावा पूर्व जो नोटिस प्र0पी0-02 एवं प्र0पी0-04 के दिए गए हैं, उनमें प्र0पी0-02 की डाक रशीद प्र0पी0-03 है, उसे पूर्व प्र0पी0-04 को नोटिस दिनांक 12/08/10 को दिया जाना बताया गया है, जिसकी स्वीकारोक्ति प्रतिवादीगण ने भी की है, और प्र0पी0-04 का जबाब नोटिस प्र0पी0-05 दिया जाना बताया है, प्र0पी0-05 पर भी कप्तानसिंह के अंगुष्ठ चिन्ह है, दिनांक 10/11/10 को भी प्र0पी0-06 का नोटिस दिया जाना उसकी डाक रशीद प्र0पी0-07 और कप्तानसिंह की पावती प्र0पी0-08 के रूप में पेश की गई है, जो दिनांक 16/11/10 की है, प्र0पी0-08 और प्र0पी0-05 के जो अंगुष्ठ चिन्ह हैं, उनमें भी अंगुष्ठ चिन्ह में कर्व है, और प्र0पी0-01 को खुली आंखों से देखने पर उसमें भी वैसा ही कर्व दिखाई पड़ता है, मानक अंगुष्ठ चिन्ह जो कि नरेश कौरव के बयानां पर है, उसमें भी वैसा ही कर्व पाया गया है, जिसे हस्तलेख विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया है, और अंगुष्ठ चिन्ह का मिलान 13 बिन्दुओं पर होना बताया है, तथा उसके बारे में स्पष्ट अभिसाक्ष्य दी है।

17. हस्तलेख विशेषज्ञ संजय यादव वा0सा0-05 की द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रति अंगुष्ठ चिन्हों के जो छायाचित्र लिए गए उन्हें विस्तृत (इन्लार्ज) करते हुए जांच करना पर और उसकी सी0डी0 भी बनाई जाना कहा है, जो प्रतिवादी को भी प्रदान की गई है, जिसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं आई है, उक्त हस्तलेख विशेषज्ञ ने प्रतिपरीक्षा में इन्लार्ज फोटोग्राफ का मेग्नीफाइंग ग्लास से भी परीक्षण करना बताया है, एवं अन्य बैज्ञानिक पद्धति से भी परीक्षण करना बताया है, जिसका उल्लेख प्र0पी0-10 की रपोर्ट में भी किया है, प्रतपरीक्षा में प्रत्येक बिन्दु पर उससे स्पष्टीकरण लिया गया है, उक्त विशेषज्ञ ने इस बात को तो स्वीकार किया है, कि किसी भी व्यक्ति के अंगुष्ठ चिन्ह की रेखाएं उम्र के आधार पर नहीं घिसती हैं, हाथों से शारीरिक श्रम के आधार पर अवश्य घिस जाती है, और कृषि कार्य में दोनों हाथों का उपयोग होता है, लंबे समय तक कोई व्यक्ति हाथों से कृषि कार्य करे, तो उसकी रेखाएं घिसने की संभावना है और प्र0पी0-01 के अंगुष्ठ चिन्ह में उपयोग की स्याही एक ही इंकपेड की संभावित बताई है।

18. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित विस्तृत तर्कों में यह उल्लेखित किया है, कि अभिलेख पर कप्तानसिंह की ओर से जो वादोत्तर, शपथपत्र और वकालतनामे पर जो अंगूठा निशानी की गई है, वह दाहिने हाथ के अंगूठे की है, उपपंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन के समय उपपंजीयक बाएं हाथ की अंगूठा निशानी कराता है, जो नरेश सिंह के बयानां पर भी है, उससे कप्तानसिंह के अंगूठा निशानी का मिलान होता है, हस्तलेख विशेषज्ञ ने भी उस पर स्पष्ट राय दी है, इसलिए प्र0पी0-01 प्रमाणित दस्तावेज है, और प्र0पी0-01 का संव्यवहार उससे प्रमाणित हो जाता है, मौखिक रूप से भी तर्क करते हुए, प्र0पी0-05 और प्र0पी0-08 के अंगुष्ठ चिन्ह में जिस तरह का कर्व है, वैसा ही प्र0पी0-01 पर भी होना बताया है और वादप्रश्न क्रमांक 01 को प्रमाणित माने जाने का निवेदन किया है, जबकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्र0पी0-01 को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज वादी के द्वारा अपने रिश्ते व परिचितों की मदद से तैयार करा लेना बताते हुए,

हस्तलेख विशेषज्ञ की रपोर्ट वादी से हितबद्धता रखते हुए प्रस्तुत की जाना बताया है, और यह तर्क किया है, कि अभिवचनों में वादी की ओर से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कि 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए ट्रक खरीदने के लिए कप्तान को दिए और फसल बेचकर प्राप्त रकम में से दिए, वादी के सभी साक्षी हितबद्ध हैं, इसलिए प्र0पी0-01 प्रमाणित नहीं है, और इसी आधार पर दावा निरस्त किया जाए।

19. अभिलेख पर प्र0पी0-09 के रूप में जो खसरे की कम्प्यूटरीकृत प्रति वर्ष 2010-2011 की पेश की गई है, उस संबंध में भी विवाद की स्थिति नहीं है, जिससे प्र0पी0-01 में उल्लेखित कृषि भूमि स्व0 कप्तान सिंह के स्वत्व आधिपत्य की होना तो निर्विवादित है, जहां तक प्र0पी0-01 के अनुबंध का प्रश्न है, जिसके संबंध में वादी के आधारों का समर्थन दिलावर सिंह और राजेन्द्र सिंह ने किया है, राजेन्द्र सिंह अन्य जाति का व्यक्ति है, इसलिए उसकी किसी से हितबद्धता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वह ग्राम टेटोन का ही निवासी है, जहां के वादी और प्रतिवादीगण भी निवासी हैं, वादी ने कप्तानसिंह को फुफेरा भाई बताया है, दिलावर उसका भतीजा है, लेकिन वह कप्तान का भी भतीजा लगता है, इसलिए उसके रिश्ते के कारण कोई हितबद्धता वादी से नहीं मानी जा सकती है और वा0सा0-03 व वा0सा0-04 प्र0पी0-01 का समर्थन करते हैं, वाद प्रीतम ने प्र0पी0-01 के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण अपने अभिसाक्ष्य में दिया है, जिसका समर्थन नरेश वा0सा0-02 ने भी किया है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंगुष्ठ चिन्ह से भी मिलान हुआ है, जिसके संबंध में वा0सा0-05 के द्वारा दी गई प्र0पी0-10 की रपोर्ट से भी उसकी पुष्टि होती है, जिससे वादी के आधार को प्र0पी0-01 के संव्यवहार को लेकर किए गए अभिवचनों को समर्थन प्राप्त होता है।

20. प्र0पी0-04 के नोटिस का जो प्र0पी0-05 के रूप में कप्तानसिंह द्वारा जबाब दिया गया है, जिसकी स्वीकारोक्ति प्रतिवादी की साक्ष्य से भी है, उसके अंगुष्ठ चिन्ह को खुली आंखों से देखे जाने पर वह भी प्र0पी0-01 के अनुरूप दिखाई पड़ता है, नरेश कौरव की रजिस्ट्री से अंगुष्ठ चिन्ह का पूरा मिलान किया गया है, इसलिए प्र0पी0-01 के निष्पादन को लेकर अभिलेख पर जो संपूर्ण साक्ष्य आई है, उससे वादी की साक्ष्य को बल प्राप्त होता है, कप्तानसिंह के लडके नागेश प्र0सा0-02 ने भी प्र0पी0-01 पर अपने पिता कप्तानसिंह का प्रीतम के साथ फोटो चस्पा होना बताया है, प्र0पी0-01 पर चस्पा फोटों एक ही फोटो है, जो दोनों का एक साथ लिया जाना परिलक्षित होता है, जिससे भी प्र0पी0-01 के संव्यवहार की पुष्टि होती है।

21. जहां तक यह बिन्दु उठाया गया है, कि अभिवचनों में इस बात का उल्लेख नहीं है, कि कप्तानसिंह ने ट्रेक्टर खरीदने के लिए वादी से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए ब्याज पर जमीन गिरवी रख उधार लिए और फसल बेचकर जो राशि वादी को मिली थी, तथा उसके भाई सुरेश के द्वारा समय समय पर भेजी जाने वाली राशि में से ऋण राशि प्रदान की गई यह बिन्दु प्रतिपरीक्षण में उठाए जाने पर स्पष्टीकरण के रूप में दिया है, इसलिए अभिवचनों में उक्त बिन्दु का उल्लेख न होना वादी के लिए घातक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि साररूप में अभिवचन

है, और प्र०पी०-01 के संबंध में वादी की साक्ष्य अधिक प्रबल है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि सिविल मामलों का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० **हसमताराय विरुद्ध राघुनाथ प्रसाद 1982 एम०पी०आर०सी०जे० पैज-01** में प्रतिपादित किया गया है, तथा न्याय दृ० **हेमराज विरुद्ध बलभद्र 1991 भाग-01 एम०पी०डब्ल्यू०एन० शॉर्टनोट 186** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कि जहां दस्तावेजी साक्ष्य हो तो उसके विरुद्ध मौखिक साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं होती है, विचाराधीन मामले में भी प्र०पी०-01 के संव्यवहार को लेकर अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रबल स्वरूप की है, जिसका शकुंतला देवा प्र०सा०-01 और नागेश प्र०सा०-02 के मौखिक अभिसाक्ष्य से खण्डन नहीं होता है।

22. इस प्रकार से अभिलेख पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य है और परिस्थितियां हैं, तथा जो स्वीकृत तथ्य हैं, उन्हें देखते हुए, यह प्रमाणित हो जाता है, कि स्व० कप्तानसिंह के द्वारा वादी प्रीतम को अपनी ग्राम टेटोन स्थिति कृषि भूमि जिसका उल्लेख प्र०पी०-09 में है, उसे दो वर्ष के लिए एक रूपए पचास पैसे प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज पर बंधक रखते हुए 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए ऋण प्राप्त किया था, फलतः वादप्रश्न क्रमांक 01 भी प्रमाणित पाते हुए, वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 04 का विश्लेषण एवं निराकरण

23. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार भी वादी पर है, इस संबंध में वादी प्रीतम सिंह वा०सा०-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में इस आशय की बात कही है, कि वह मूल प्रतिवादी स्व० कप्तानसिंह से कई बार लिखितम अनुसार पैसे मांगता रहा लेकिन कप्तानसिंह टालमटूल करता रहा और दिनांक 15/06/2010 को रूपए देने से मना कर दिया, तब उसने जरिए अभिभाषक डाक से नोटिस भेजा जिसका जबाब कप्तानसिंह की ओर से दिया गया और रूपए लेने से इन्कार किया इस बिन्दु पर प्रतिवादी की ओर से वादी पर की गई प्रतिपरीक्षा में प्र०पी० 01 के लिखितम की की पढालिखी से इन्कार करने और कोई लेन देन न करने की बात बताई है।
24. इस बिन्दु पर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में भी मूलप्रतिवादी स्व० कप्तानसिंह की विधवा पत्नी श्रीमती शंकुतला देवी प्र०सा०-01 ने भी वादी का उसके पति को नोटिस मिलना और उसका उसके पति द्वारा जबाब दिया जाना बताया है, तथा रूपए लेने से पूरी तरह इन्कार किया है, उसके पुत्र नागेश प्र०सा०-02 ने भी प्र०सा०-01 की तरह अभिसाक्ष्य देते हुए, मूलतः यह कहा है, कि वादी प्रीतम ने उसके पिता को जो नोटिस दिया था, वह गलत था, इसलिए तत्समय उसका जबाब दिया गया था, वादी द्वारा दो बार नोटिस दिए जाने से उसने पैर-04 में इन्कार किया है।
25. अंतिम तर्कों में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह वयक्त किया है, कि वादी द्वारा प्र०पी०-02 एवं प्र०पी०-04 और प्र०पी०-06 के नोटिस दिए गए हैं, प्र०पी०-04 के नोटिस का प्र०पी०-05 का प्रतिवादी की ओर से जबाब भी दिया गया, प्र०पी०-06 का नोटिस भी स्व० कप्तानसिंह को मिला था, क्योंकि उसकी पावती

प्र0पी0-08 है, जिसका कोई जबाब नहीं दिया जिससे वादी का प्र0पी0-01 के अनुबंध की राशि और ब्याज की मांग बराबर करते रहने और प्र0पी0-01 के पालन हेतु तत्पर व तैयार रहने की पुष्टि होती है, जबकि प्रतिवादी की ओर से शुरू से ही पूरी तरह इन्कारी की गई, जिससे उसका अनुबंध पालन में हीलाहवाली करना प्रमाणित है, इसलिए वादप्रश्न उनके पक्ष में निर्णित किया जाए जबकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है, कि प्र0पी0-01 का अनुबंध ही फर्जी और कूटरचित है इसलिए उसके अनुपालन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, जिसके संबंध में जबाब नोटिस तत्समय दिया गया था, इसलिए उक्त वादप्रश्न प्रमाणित नहीं है, और वादी का वाद ही अवधी बाह्य है, इसलिए उक्त वादप्रश्न अप्रमाणित निर्णित किया जाए।

26. उक्त वादप्रश्न के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विधिक दृष्टि से विचार किया गया, प्र0पी0-02 का नोटिस धारा-80 सीपीसी के अंतर्गत प्रकरण में औपचारिक प्रतिवादी बनाए गए म0प्र0 राज्य से संबंधित है, जिसकी रजिस्ट्री रशीद प्र0पी0-03 है, और मूल विवाद वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के मध्य का था, प्रतिवादी क्रं0-01 के वादलंबन काल में फौत हो जाने से उसके वारिसान अभिलेख पर लिए गए हैं, और म0प्र0 शासन प्रकरण में एकपक्षीय है, उसके विरुद्ध कोई आज्ञाप्ति नहीं चाही गई है, उसे केवल बंधक भूमि कृषि भूमि होने के आधार पर पक्षकार बनाया गया है, इसलिए प्र0पी0-02 के नोटिस की प्रथक से मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है, मूल प्रतिवादी से संबंधित मांग सूचना पत्र प्र0पी0-04 लगायत प्र0पी0-06 के है, प्र0पी0-04 के नोटिस का मूल प्रतिवादी द्वारा प्र0पी0-05 का जबाब नोटिस दिया गया था, जिसके संबंध में विवाद की स्थिति नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है, कि वादी द्वारा दिनांक 12/08/10 को प्र0पी0-04 के नोटिस द्वारा मांग की गई जिसका स्व0 कप्तानसिंह की ओर दिनांक 20/08/10 को प्र0पी0-05 का जबाब नोटिस दिया गया, जिसमें जो शब्दावली उपयोग में ली गई है, उससे यह स्पष्ट है, कि मूलप्रतिवादी ने प्र0पी0-01 के लिखितम को चुनौती दी और प्र0पी0-04 के नोटिस का खण्डन किया तथा वादोत्तर में जो अभिवचन किए गए और प्रतिवादी की ओर से जो खण्डन साक्ष्य पेश की गई, उससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि प्रतिवादी प्र0पी0-01 के संव्यवहार का पालन करने हेतु कभी भी उत्सुक नहीं रहा, न ही वर्तमान में उसके वारिसान तत्पर व तैयार है, जिन्हें स्व0 कप्तानसिंह की भारित वादग्रस्त सम्पत्ति जिसका उल्लेख प्र0पी0-01 में है, वह उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, इससे वादप्रश्न क्रमांक 04 वादी के पक्ष में प्रमाणित निर्णित किए जाने योग्य है, क्योंकि वादप्रश्न क्रमांक 01 व 05 का जो ऊपर वर्णित साक्ष्य आधारित मूल्यांकन किया गया है, और प्र0पी0-01 के निष्पादन को प्रमाणित माना जा चुका है, उसे देखते हुए, वादप्रश्न 04 भी वादी के पक्ष में निर्णित कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 03 एवं 06 का विश्लेषण एवं निराकरण

27. उपरोक्त दोनों वादप्रश्न एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए उनका विश्लेषण और निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

28. उपरोक्त वादप्रश्नों में से वादप्रश्न क्रमांक 03 का प्रमाणभार वादी पर और वादप्रश्न क्रमांक 06 का प्रमाण भार प्रतिवादी पर है वादप्रश्न क्रमांक 06 विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, इस कारण उसे अन्य वादप्रश्नों के साथ गुणदोषों पर निराकरण हेतु रखा गया था।
29. इस संबंध में वादी की ओर से अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें वादी प्रीतमसिंह वा0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में कप्तानसिंह के द्वारा प्र0पी0-01 का अनुबंधपत्र दिनांक 11/07/2005 को निष्पादित करना और दो वर्ष में मय ब्याज ऋण राशि अदा करना तय किया था, तथा यह भी साक्ष्य दी है, कि कप्तानसिंह ने दिनांक 26/06/07 को ब्याज पेटे 12,000/-रुपए जमा किए थे, तथा दिनांक 18/06/09 को ब्याज पेटे 8,000/-रुपए जमा किए थे और मूलधन देने का मौखिक अनुबंध किया था, किंतु फिर उसका पालन आगे नहीं किया, तब नोटिस दिए गए, एक नोटिस दिनांक 30/08/10 को जरिए डाक दिया गया था, जिसका कप्तानसिंह ने जबाब दिया था, और अनुबंध अस्वीकार किया, फिर दिनांक 12/11/10 को जरिए अभिभाषक दूसरा नोटिस दिया गया था, जो कप्तानसिंह को दिनांक 16/11/10 को प्राप्त हुआ था।
30. प्रीतम सिंह वा0सा0-01 ने पैरा-08 में यह कहा है, कि कप्तानसिंह ने उसे वर्ष 2007 में 12,500/-रुपए दिए थे, जिसकी प्रविष्टि उसके भाई नरेश ने की थी, क्योंकि वह अनपढ़ है, नरेश ने अपनी कॉपी में भी प्रविष्टि की थी, वह जिन लोगों के पैसे देता है, और ब्याज लेता है, उसकी लिखापट्टी नरेश अपनी कॉपी में भी करता है, उसने ब्याज पर रुपए परिचित व्यक्तियों को देने का काम करने वाली बात बताई है, साहूकारी का लाइसेंस होने से इन्कार किया है, नरेश की कॉपी प्रकरण में पेश न करना स्वीकार किया है और पैरा-09 में 8,000/-रुपए दिनांक 08/06/09 को कप्तानसिंह के द्वारा जमा कराए जाने पर उसकी प्रविष्टि भी नरेश के द्वारा कॉपी में करना बताते हुए, यह भी कहा है, कि प्र0पी0-01 के पेज नंबर 01 के पृष्ठ भाग पर जिस राखी देवी का उल्लेख है, वह उसके छोटे भाई सुरेश की पत्नी है, राखी देवी की प्रविष्टि फर्जी तौर पर कर लेने से उसने इन्कार किया है।
31. इस बिन्दु पर वादी की ओर से अपने भाई नरेश सिंह को वा0सा0-02 के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-03 में यह बताया है, कि कप्तानसिंह ने ब्याज पेटे 12,000/-रुपए दिनांक 25/06/07 को और 8,000/-रुपए दिनांक 08/06/09 को उसके सामने जमा किए थे, जो उसने असल अनुबंधपत्र के पीछे लिखे थे और अपने हस्ताक्षर किए थे राखीदेवी ने गवाही का अंगूठा लगाया था, साक्षी ने प्र0पी0-01 के पेज 01 के पृष्ठ भाग पर डी से डी और ई से ई भाग पर ब्याज जमा होने संबंधी गवाह के रूप में हस्ताक्षर करना बताया है और पैरा-06 में यह कहा है, कि दोनों बार ब्याज जमा करते समय हिसाब नहीं हुआ था, हिसाब बाद में करने के लिए कह दिया था, दोनों अवसरों पर ब्याज की उक्त लिखापट्टी की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी, क्योंकि कप्तानसिंह वृद्ध हो गया था और उन्होंने सोचा कि आगे जरूरत पड़ेगी दोनों दिनांको में ब्याज जमा करने की इवार्त

उसके द्वारा ही लिखी गई थी, और राखी देवी को गवाह इसलिए बना लिया था, क्योंकि वह घर में मौजूद थी, जो उसके बड़े भाई सुरेश की पत्नी है, सुरेश एसएएफ में नौकरी करता है, और बाहर रहता है, उसके पत्नी बच्चे शामिल शरीक रहते हैं, इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है, लिखापढी के समय वह प्रीतमसिंह से अलग रहता था, फिर पैरा-07 में उसने ब्याज की लिखापढी होने तक शामिल शरीक रहना बताया है, वर्ष 2007-2008 में अलग हो जाना कहा है, प्रीतमसिंह और महेश दोनों उसके भाई अविवाहित होकर माताजी के साथ शामिल शरीक रहते हैं और बंटवारा नहीं हुआ है, पैरा-09 में उसने उक्त लिखापढी घरवालों से मिलकर जमीन हड़पने के लिए और ब्याज की फर्जी लिखापढी अनुबंध को समयावधी में लाने के लिए कर लिए जाने से इन्कार किया है।

32. इस बिन्दु पर प्रतिवादी की ओर से श्रीमती शकुंतला देवी प्र0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है, कि उसके पति ने वादी से कोई रुपया नहीं लिया और झूठे तथ्यों के आधार पर वादी ने बेरुन म्याद दावा पेश किया है, पैरा-06 में भी वह अपने उक्त कथन पर स्थिर होते हुए, इस बात से इन्कार करती है, कि उसके पति ने ब्याज के रूप में एक बार 12,000/-रुपए एक बार 8,000/-रुपए दिए थे और शेष राशि अगली बार पूरी भुगतान कर देने की बात कही थी, नागेश प्र0सा0-02 ने भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य देते हुए, पैरा-04 में खण्डन किया है, और पैरा-05 में पिता के ऋण को चुकाने के दायित्व से भी इन्कार किया है।

33. इस बिन्दु पर वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह लिखित व मौखिक तर्क है, कि दावा अवधि अंदर है, क्योंकि वादी एवं मूलप्रतिवादी दोनों रिश्तेदार थे, उनके बीच मधुर संबंध थे, इस कारण उधारी का लेनदेन हुआ था, प्र0पी0-01 की लिखापढी कप्तानसिंह के वृद्ध होने के कारण दोनों की सहमति से कराई गई थी, और जब कप्तानसिंह ने ब्याज का भुगतान किया तब भी अनुबंध के पीछे ही लिख लिया गया था, प्रेम व्यवहार के कारण घर में मौजूद सदस्य साक्षी के रूप में लिख लिए गए थे, कोई कूटरचना नहीं की गई है, न ही दावे के समयावधि में लाने के लिए कोई लिखापढी की गई और वादी अशिक्षित है, इसलिए ब्याज जमा होते समय कप्तानसिंह का अंगूठा निशानी भूल से रह गया होगा, तथा अंतिम संव्यवहार दिनांक 08/06/09 का है, प्रतिवादी ने इन्कार प्र0पी0-05 के जबाब नोटिस के माध्यम से की है, जिससे तीन वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत है, और ब्याज की लिखापढी प्रमाणित है, इसलिए वादप्रश्न क्रमांक 03 उसके पक्ष में निर्णित किया जाए और वादप्रश्न क्रमांक 06 भी उसके पक्ष में दावा अवधि अंदर मान्य कर निर्णित किया जावे। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्कों में न्याय दृ0 का भी उल्लेख किया है, जिन्हें आगे मूल्यांकन में लिया जाएगा।

34. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विस्तृत मौखिक तर्कों में प्र0पी0-01 के पृष्ठ क्रमांक 01 के पीछे दिनांक 25/06/07 एवं 08/06/09 की ब्याज जमा करने की प्रविष्टि कूटरचित बताते हुए, दावे के अवधि अंदर लाने के उद्देश्य से अपने भाई और भाई की पत्नी की साजिश से कर लेना बताया है, इस आधार पर कूटरचना स्पष्ट होने का तर्क करते हुए, यह भी कहा है, कि यदि

कप्तानसिंह द्वारा ब्याज जमा किया जाता तो वह जबाब नोटिस में भी उल्लेखित करता और ब्याज जमा की प्रविष्टि पर कप्तानसिंह के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी होती जिसका अभाव है, इसलिए वादी का वाद विशुद्ध रूप से अवधि बाह्य है और वादी कोई आज्ञाप्ति प्र0पी0-01 के आधार पर पाने का पात्र नहीं है, यह तर्क भी किया है, कि राखी देवी को साक्ष्य में पेश नहीं किया है, और नरेश के द्वारा ब्याज की प्रविष्टि जिस कॉपी में करना कही है, वह भी पेश नहीं की है, तथा स्वयं वादी यह स्वीकार करता है, कि कप्तानसिंह ईमानदार व्यक्ति था, यदि वह उधार रूपए लेता तो स्वीकार करता, इसलिए दावा अवधि बाह्य होने से सव्यय निरस्त किया जाए। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्कों में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा-25 (3) पर बल दिया है।

35. जहां तक ब्याज भुगतान करने की मूल अनुबंधपत्र प्र0पी0-01 के पेज क्रमांक 01 के पृष्ठ भाग पर प्रविष्टि का प्रश्न है, यह सही है, कि प्र0पी0-01 के अनुबंधपत्र का निष्पादन वादी एवं स्व0 कप्तानसिंह के मध्य होना वादप्रश्न क्रमांक 01 व 05 का विश्लेषण करते हुए, प्रमाणित माना जा चुका है, जबकि प्रतिवादी मूल अनुबंध पत्र को ही कूटरचित बताते हुए आया था, और कूटरचना को वह प्रमाणित नहीं कर सका, जबकि सुस्थापित विधि मुताबिक कूटरचना के बिन्दु का प्रमाणभार उसी पक्षकार पर होता है जो ऐसा अभिवाक् लेता है, जैसा कि न्याय दृ० **विजय कुमार ताम्रकार विरुद्ध श्रीमती शांतिसिंह 1993 भाग-02 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट 155** में मार्गदर्शित है।

36. विचाराधीन मामले में प्र0पी0-01 को फर्जी या कूटरचित प्रतिवादी की ओर से औपचारिक खण्डन के आशय से अभिवचनित किया जाना परिलक्षित होता है, क्योंकि इस बिन्दु पर खण्डन साक्ष्य दुर्बल प्रकृति की है, जबकि वादी की साक्ष्य इस बिन्दु पर अधिक प्रबल है, क्योंकि प्र0पी0-01 के संबंध में उसकी ओर से स्वयं के अलावा अनुप्रमाणक साक्षी परीक्षित कराए गए हैं, कप्तानसिंह के अंगुष्ठ चिन्ह की विशेषज्ञ साक्ष्य से भी पुष्टि हुई है, प्रकरण में ब्याज जमा की प्रविष्टियां वा0सा0-02 ने करना बातई है और वा0सा0-02 के अभिसाक्ष्य में उसका खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि प्रविष्टियों की आवश्यकता तक उसने स्पष्ट बताई है, ऐसे में राखी देवी का वादी साक्षी के रूप में परीक्षण न कराए जाने का प्रतिकूल प्रभाव वादी पर नहीं माना जा सकता है, तथा नरेश की प्रविष्टि वाली बताई गई कॉपी के पेश न होने का भी वादी के विरुद्ध अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ऐसी साक्ष्य नहीं आई है, कि ब्याज की जो प्रविष्टि नरेश ने अपनी कॉपी में की उस पर कप्तान ने अंगूठा निशानी कराई गई, इसलिए इस बिन्दु पर दिनांक 25/06/07 एवं 08/06/09 की प्रविष्टियों के संबंध में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विधि सम्मत होना नहीं पाया जाता है।

37. प्र0पी0-04 के नोटिस में ब्याज अदायगी का उल्लेख नहीं है, किंतु प्र0पी0-06 का जो नोटिस रजिस्टर्ड डाक से कप्तानसिंह को दिया गया था, जो उसे दिनांक 16/11/10 को प्राप्त हो जाना प्र0पी0-08 की पावती से स्पष्ट होता है, और प्र0पी0-06 का कोई जबाब कप्तानसिंह की ओर से नहीं दिया गया, जिसमें प्र0पी0-01

के पृष्ठ भाग पर ब्याज की प्रविष्टियों के बारे में भी उल्लेख नहीं आया है, दावा पूर्व शासन के नोटिस प्र0पी0-02 में उल्लेख अवश्य किया है।

38. धन वसूली के लिए परिसीमा काल परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 25 के मुताबिक उस धन के लिए, जो प्रतिवादी द्वारा वादी को शोध्य धन पर ब्याज बाबत संदेय हो तीन वर्ष उस समस से बताया गया है, जब ब्याज शोध्य हो जाए, विचाराधीन मामले में वादी प्र0पी0-01 के आधार पर जो डिक्री चाही है उसमें सर्वप्रथम तो प्र0पी0-01 के तहत बंधक रखी गई भूमि का दो वर्ष के भीतर मय तयशुदा ब्याज अदायगी न होने से पंजीकृत बिक्रय पत्र (सुल्तानी बयनामा) कराए जाने की डिक्री चाही गई है, विकल्प में मूल धन और ब्याज की डिक्री चाही है, प्र0पी0-01 में उल्लेखित शर्तों मुताबिक दिनांक 11/07/2005 को दो वर्ष के लिए भूमि बंधक रखी गई, अर्थात् म्याद अनुबंध दिनांक के दो वर्ष पश्चात प्रारंभ होगी, किंतु वर्ष 2007 और वर्ष 2009 में ब्याज के रूप में आंशिक अदायगी को वादी द्वारा प्रमाणित कराया गया है, जिसके कारण वाद प्रस्तुति के लिए अंतिम इन्कारी जिसे प्र0पी0-05 के जबाब नोटिस के आधार पर दिनांक 20/08/10 को मानी जा सकती है, क्योंकि प्र0पी0-05 का जबाब नोटिस स्वीकृत है, उस हिसाब से मूल वाद जो कि न्यायालय में दिनांक 08/07/2011 को पेश हुआ था, वह जबाब नोटिस के आधार पर तीन वर्ष की म्याद के भीतर आ जाता है।
39. सुल्तानी बयनामा की भी प्र0पी0-01 में शर्त है, उस आधार पर यदि संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की प्रकृति का वाद माना जाए तो परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 54 आकर्षित होगा, जिसमें म्याद तीन वर्ष उस अवस्था से बताई गई है, जहां पालन के लिए कोई तिथि नियत की गई और यदि कोई तिथि नियत नहीं की गई है, तो जब वादी को यह सूचना हो जाए कि पालन से इन्कार कर दिया है, उससे तीन वर्ष बताई गई है, प्र0पी0-01 के पेज क्र0-01 के पृष्ठ भाग की प्रविष्टियों का खण्डन नहीं हुआ है, इसलिए म्याद इन्कारी से ही प्रारंभ मानी जाएगी, जो प्र0पी0-05 के तहत प्रथम इन्कारी दिनांक 20/08/10 से मानी जाएगी इस आधार पर भी वाद अवधि अंदर होना प्रमाणित होता है।
40. जहां तक भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा-25 (3) का प्रश्न है, जिसमें यह प्रावधान है, कि जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा भारित न होने की दशा में लेनदार करा लेता है, उसके पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया जाना है, या तन्निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अधिकर्ता द्वारा, किया गया, लिखित और हस्ताक्षरित वचन हो।
41. भारतीय संविदा अधिनियम का उक्त प्रावधान वहां प्रभावी होगा जहां परिसीमा विषयक किसी ऋण के संदाय के वादों के लिए उपबंध न हों, जबकि जिस प्रकृति का प्र0पी0-01 का अनुबंध है, उसके लिए ऊपर वर्णित मुताबिक परिसीमा विषयक स्पष्ट प्रावधान है, इसलिए सर्वप्रथम तो उक्त प्रावधान प्रकरण में आकर्षित ही नहीं होता है।

42. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृ० **गुणवन्तभाई मलचन्द शाह एवं अन्य विरुद्ध अन्टोन एलिस फरेल एवं अन्य 2006(2) एस0सी0सी0डी0 1009 (एस0सी0)** पेश किया है, जो कि बिक्रय की संविदा एवं शास्वत व्यादेश से संबंधित वाद पर आधारित होकर धारा-20 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 पर आधारित है, न्याय दृ० के मामले में जिस बिक्रय अनुबंधपत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें करार के पालन के कोई तिथि निर्धारित नहीं थी, इस आधार पर इन्कारी से तीन वर्ष की म्याद मानी गई थी, यह मामला बंधक संबंधी है और ऊपर किए गए विश्लेषण मुताबिक प्र0पी0-05 के आधार पर इन्कारी से परिसीमा काल अवधारित किया गया है, दोनों मामलों की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं इसलिए उसे लागू प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता है।
43. इस प्रकार उपरोक्त विधि साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियों के समेकित मूल्यांकन के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है, कि प्र0पी0-01 की पृष्ठ भाग पर ब्याज अदायगी की जो प्रविष्टि है, वह वास्तविक है, और वादी का वाद अवधि अंदर है, अतः उक्त दोनों वादप्रश्न क्रमांक 03 व 06 वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए वादप्रश्न क्रमांक 03 को प्रमाणित और वादप्रश्न क्रमांक 06 को अप्रमाणित निर्णित किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 02 का विश्लेषण एवं निराकरण

44. उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार वादी पर है, और वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है, उसके आधार पर ऊपर वर्णित अनुसार प्र0पी0-01 का निष्पादन प्रमाणित पाया गया है, किंतु वादी प्रीतमसिंह वा0सा0-01 के अभिसाक्ष्य में कण्डिका 08 लगायत कण्डिका 12 में जो तथ्य स्पष्ट हुए हैं, उससे प्र0पी0-01 के अनुबंध की प्रकृति ऋण राशि की सुरक्षा हेतु निष्पादित दस्तावेज के रूप में है, और वादी ने यह स्वीकार किया है, कि वह ब्याज पर परिचितों को रूपए उधार देता है, वादी के अन्य साक्षियों के अभिसाक्ष्य से भी उधारी के ही संव्यवहार की पुष्टि हुई है, ऐसे में प्र0पी0-01 के आधार पर प्र0पी0-01 में उल्लेखित भूमि का पंजीकृत बिक्रयपत्र वादी प्रतिवादी के वारिसान से करा पाने का पात्र नहीं है, और न्याय दृ० **मनोहर लाल विरुद्ध सुगन चन्द्र 1977 एम0पी0एल0जे0 शॉर्टनोट 58** में माननयी उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि दस्तावेज की शब्दावली के आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित की जानी चाहिए, इस दृष्टि से भी प्र0पी0-01 कर्ज सुरक्षा हेतु लिखा गया दस्तावेज है, इसलिए सुल्तानी बयनामे की जो डिक्री वादी द्वारा चाही गई है, वह उसे पाने का पात्र नहीं पाया जाता है, बल्कि उधारी का संव्यवहार होना प्रमाणित हुआ है, इसलिए धनवसूली की वैकल्पिक डिक्री की पात्रता अवश्य वादी को है। इसलिए वादप्रश्न क्रमांक 02 वादी के विरुद्ध निर्णित कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 08 का विश्लेषण एवं निराकरण **अन्य सहायता एवं व्यय**

45. ऊपर वादप्रश्नों के क्रमवार मूल्यांकन के आधार पर यह स्थापित और

प्रमाणित हुआ है, कि वादी एवं स्व0 कप्तान सिंह के मध्य प्र0पी0-01 का अनुबंध सम्पादित हुआ था, जो मूलधन 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए बाबत था, उसमें ब्याज भी निर्धारित किया गया था, किंतु वादी प्रीतमसिंह वा0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-08 में यह स्वीकार किया है, कि उसके पास साहूकारी का लाईसेंस नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में मध्यप्रदेश साहूकारी विधान 1934 के प्रावधान आकर्षित होंगे, जिसकी धारा-03 लगायत 07 के प्रावधान अवलोकनीय है, जिसके अनुसार-

साहूकार द्वारा लेखों का रखा जाना एवं उसके विवरणों का ऋणी को दिया जाना-(1) प्रत्येक साहूकार-

(क) हर एक ऋणी को दिए गए किसी ऋण के समस्त संव्यवहारों का अलग से (ए) खाता नियमित रूप से रखेगा,

(ख) ऐसे ऋणी को प्रत्येक वर्ष में खाते का स्पष्ट विवरण स्वयं द्वारा या उसके (बी) अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित देगा, जिसमें ऐसे ऋणी के विरुद्ध निकल रहे बकाया या ऐसे दिनांक को जो राशि बकाया रही हासे तथा ऐसे क्षेत्रों में जो कि विहित किए जावे, देगा। ऐसे खाते के विवरण में ऋण से संबंधित समस्त संव्यवहार जो कि वर्ष के दौरान जिसका कि वह विवरण हो, उस जिले की न्यायालयीन भाषा में जिसमें ऋणी का अधिवास हो तथा ऐसे तरीके से, ऐसे ब्योरों के साथ तथा ऐसे दिनांक को जो कि विहित किया जावे, दिए जावेंगे।

(ग) किसी ऋणी को खण्ड (बी) के अधीन दिए गए प्रत्येक लेखा-विवरण की एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार को देगा।

46. उक्त अधिनियम की धारा-04 में यह प्रावधान किया गया है, कि धारा-03 के पालन न करने के संबंध में प्रतिवादी प्रारंभिक स्तर पर वादोत्तर में आपत्ति ले सकता है और उसे प्रारंभिक स्तर पर ही आपत्ति लेनी चाहिए किंतु न्याय दृ० श्रीकृष्ण विरुद्ध महादेव 1959 जे०एल०जे० 135 में यह मार्गदर्शित किया गया है, कि यदि प्रतिवादी ने आपत्ति न भी ली हो तो न्यायालय को स्वयं यह देखना चाहिए कि धारा-03 के प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं। उक्त अधिनियम की धारा-03 के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है, कि यदि साहूकार के द्वारा इस धारा के प्रावधानों का पालन न किया जाए तो उस स्थिति में वह वाद प्रस्तुति दिनांक तक की अवधि का ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा, जैसा कि न्याय दृ० नथनसिंह विरुद्ध लक्ष्मीनारायण सिंह 1962 जे०एल०जे० शॉर्टनोट 355 में मार्गदर्शित है। न्याय दृ० लक्ष्मीनारायण विरुद्ध भंवरलाल 1985 एम०पी०डब्लू०एन० शॉर्टनोट 355 में यह मार्गदर्शित किया गया है, कि यदि साहूकारी अधिनियम की धारा-03 (1)(क) एवं धारा-02 व 07 (क) के प्रावधानों का पालन न किए जाने की दशा में न्यायालय संपूर्ण ब्याज एवं खर्चों को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है, कि इस संबंध में विवेक का उपयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए।

47. न्याया दृ० सरदार सिंह विरुद्ध लक्ष्मन प्रसाद 2001 भाग-01 एम०पी०जे०आर० 34 में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित

किया गया है, कि संविदा के अनुपालन का वाद यदि निरस्त होता है और अनुबंध में पई गई राशि प्रमाणित हो तो ऐसी धनराशि मय ब्याज वापिस दिलाई जा सकती है।

48. इस तरह से उक्त आधार पर वादी, मूल प्रतिवादी स्व0 कप्तानसिंह के वारिसान से प्र0पी0-01 के तहत प्राप्त उधार राशि 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपए एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने की पात्रता रखता है, क्योंकि स्व0 कप्तानसिंह की सम्पत्ति वारिसान को उत्तराधिकार में प्राप्त होना और बटवारा न होना स्वयं प्र0सा0-02 ने स्वीकार किया है, इसलिए वारिसान का संयुक्त उत्तरदायित्व ऋण अदायगी के लिए हो जाता है, इसलिए वैकल्पिक रूप से जो आज्ञापति वादी द्वारा चाही गई है, वह मूल ऋण राशि और उक्त ब्याज दर हेतु वाद प्रतिवादी क्रं0-1'अ' लगायत 1'फ' के विरुद्ध आंशिक रूप से डिक्री योग्य होकर आंशिक रूप से प्रमाणित पाया जाता है। फलतः मूल वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रं0-01'अ' लगायत 01'फ' के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञापति प्रदान की जाती है-

अ. प्रतिवादी क्रं0-01अ लगात 01फ को आदेशित किया जाता है, कि वे वादी प्रीतमसिंह को प्र0पी0-01 के तहत स्व0 कप्तानसिंह द्वारा प्राप्त राशि 1,50,000/-रूपए (एक लाख पचास हजार रूपए) एवं उस पर जुलाई 2011 से पूर्ण अदायगी तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दो माह के भीतर विधिवत् भुगतान करे अन्यथा वादी निष्पादन के माध्यम से उनसे उक्त राशि मय ब्याज के वसूलने का अधिकारी होगा।

ब. प्रतिवादी क्रं0-01 'अ' लगायत 1 'फ' अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ वादी का प्रकरण व्यय भी संयुक्त रूप से वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क सारणी अनुसार अथवा प्रमाणित करने पर जो भी कम हो वह जोड़ी जावे।

तदनुसार धन वसूली की डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक-23 जनवरी 2017

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड